


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
//आदेश //

क्रमांक B/5560/चार-12-5/2023

जबलपुर, दिनांक 05/08/2023

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की अधिसूचना फा.क्रमांक 482/21-ब(एक)/2023 दिनांक 03/02/2023 के परिप्रेक्ष्य में श्री हौसला प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधिपति महोदय का मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण संलग्न प्रपत्र में दर्शाये अनुसार किया जाता है ।



4.8.23
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

पृ0क्र0 B/5561/चार-12-5/23

जबलपुर दिनांक 05/08/2023

1. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा अनुभाग)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित)/सहायक(पेंशन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. श्री हौसला प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधिपति महोदय, बी-139, प्रियदर्शिनी कालोनी, डुमना रोड, महगवां, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

नोट:—रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड कर मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।



4.8.23
रजिस्ट्रार(एम)

डेमन

STATEMENT OF FIXATION OF PAY UNDER MADHYA PRADESH JUDICIAL SERVICE
(REVISION OF PAY, PENSION AND OTHER RETIREMENT BENEFIT) RULES, 2022

1 Name of Judicial Officer	Shri Housla Prasad Singh
2 Employee Code	-
3 Designation	Former Judge
4 Status (Subs./Offi.)	Substantive
5 Date of pay fixation in the Revised scale	01/01/2016
6 Existing Scale	70290-1540-76450/-
7 Pay in Existing Scale (as on 01/01/2016)	76450/- (w.e.f. 16/03/2014)
8 Revised Scale	199100-224100 (J-7)
9 Initial Pay in Revised Scale (as on 01/01/2016)	224100/-
10 Date of next increment	(Elevated on 07-04-2016)

By Order of Hon'ble Chief Justice


(Ajay Pawar)
Registrar (M)
